

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या-747 / राज्यनिर्वाचन-2 / 989 / 2009,

देहरादून: दिनांक: 04, अक्टूबर, 2012

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों की क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्यों के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन।

अधिसूचना

पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या-2046 / XII/2012/86(30) / 2010-टी०सी-। दिनांक 03 अक्टूबर, 2012 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के पश्चात विभिन्न कारणों से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों पर जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, उप-निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है।

2. अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं हरिश्चन्द्र जोशी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि तक उक्त प्रकार से रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नानकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाये:-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
12.10.2012 (पूर्वाह 1000 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	13.10.2012 (पूर्वाह 1000 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	15.10.2012 (पूर्वाह 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	15.10.2012 (अपराह्न 01:30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	30.10.2012 (पूर्वाह 0800 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	02.11.2012 (पूर्वाह 0800 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के सभी रिक्त स्थानों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 06.10.2012 को जारी करेंगे, और उसकी प्रति सरकारीगणजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

4. उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) तथा तदधीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने, नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य, मतों की गणना तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी तथा सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने और उनकी जांच करने, नाम वापसी, तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी, निर्वाचन परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर की जायेगी।

(हरिश्चन्द्र जोशी) २
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या-747(1) / रा०नि०आ०अनु०-२ / १९८९ / २००९ तददिनांक |(फैक्स)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, श्री राजगपात्र, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
17. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
18. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
19. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
20. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
21. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
22. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
23. सूचना-पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से/

— (एच०बी०थपलियाल) ०५/११८/१२
संयुक्त सचिव।